

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 242A/2014-15

सरस्वती सरदारीन बनाम बच्चा मुर्मू

:: आदेशः

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता सरस्वती सरदारीन पिता स्व० कोकरो सरदार, ग्राम-हुदू, थाना-काण्डा, जिला-सरायकेला-खरसावों ने ईलाज हेतु क्रेता बच्चा मुर्मू पिता टुडु मुर्मू, ग्राम-हुदू, थाना-काण्डा, जिला-सरायकेला- खरसावों को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।